

2/2012 आभेभाषक आदि - उमादेवी आदि

दिनांक	आज्ञा पत्र	
28.3.22	<p>पत्रावली पेश। पत्रावली में रजिस्टर्ड की तामील शेष है। इस हेतु अपील के रजिस्टर्ड के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीत प्रतिसीध निस्तारण किया जा सके पत्रावली वास्ते तलवी रिकार्ड दिनांक 1.2.22 को पेश हों।</p>	
13-6-22	<p>पत्रावली प्रस्तुत आभेभाषक सघ में आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 11.10.22 को पेश हो</p>	
11.10.22	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेसपो.उपा पीठासीन अधिकारी महोदय आज 30.10.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 27.12.22 को पेश हो।</p>	
7.12.22	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेसपो.उपा पीठासीन अधिकारी महोदय आज 30.10.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 27.12.22 को पेश हो।</p>	
9.3.23	<p>पत्रावली प्रस्तुत आभेभाषक सघ में आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 6.7.23 को पेश हो</p>	
6.7.23	<p>पत्रावली पेश। वकील अपील को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रजिस्टर्ड के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली रहे / तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 1.2.22 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।</p>	
13.7.23	<p>पत्रावली पेश वकील अपील को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रजिस्टर्ड के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपील में रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपील अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपील आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फसल शुमार होकर नगर से कम होकर बाघ तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>मु.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व तामील अधिकारी साकर</p>	